स्त्रियों के संदर्भ में आचार्य कौटिल्य की सामाजिक निति का विश्लेषण

स्नेहा*

समाज राज्य का दर्पण कहा जाता है अर्थात् समाज की सुख एवं समृद्धि से राज्य की स्थिति का ज्ञान होता है। राज्य किस प्रकार से विकास कर रहा है और विशेषकर वहाँ स्त्रियों की स्थिति कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि राज्य वास्तव में उन्नत शील है कि नहीं। यदि राज्य से पुरूष के समान स्त्रियों को भी समान अधिकार मिले हुए हैं तो उस राज्य को उन्नतशील कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य कौटिल्य ने स्त्रियों के सम्बन्ध में तटस्थ भाव से नियम बनाये हुये थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में स्त्रियों को सुदृढ़ एवं सुलभ आर्थिक सामाजिक संरक्षण प्रदान किया है।

स्त्री की परवरिश

कौटिल्य ने स्त्रियों की दृष्टि से ऐसा नियम बनाया था जिसका पालन करना पुरूषों के लिए अनिवार्य था। जैसे पुरूषों का यह दायित्व होता था कि स्त्री की कौटिल्य आर्थिक नीतियों की प्रासंगिता : आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परवरिश करना। यदि किसी स्त्री के भरण–पोषण की अवधि निश्चित नहीं होती थी तो पुरूष उस स्त्री के लिये वस्त्र, और व्यय का यथोचित प्रबन्ध करता था अथवा अपनी आमदनी के अनुसार उसको अतिरिक्त सुख–सुविधा प्रदान करता था। परन्तु जिस स्त्री के भरण–पोषण का समय निश्चित होता था और जिस स्त्री ने दहेज, स्त्री धन तथा अतिरिक्त धन लेना स्वीकार न किया हो, पति को अपनी आमदनी के अनुसार बँधी हुई रकम उसको देना होता था परन्तु यह नियम उन स्त्रियों पर लागू नहीं होता था जो अपने मायके रहती हों या स्वतन्त्र गुजारा करती हों–

भर्मण्यायामनिर्दिष्टकालायां ग्रासच्छादनं वाधिकं यथापुरूषपरिवापं सविवेशं दद्यात्। निर्दिष्टकालायां तदेव संख्याय। बन्धं च दद्यात्। शुल्कस्त्रीधनाधि वेदनिकानामनादाने च। श्रसुरकुलप्रविष्टायां विभक्तायां वा नाभियोज्यः। इति भर्म।[36]

(शोधच्छात्रा) संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ऋण व्यवस्था का अधिकार

स्त्रियों को ऋणव्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य की ओर से छूट प्रदान किया गया था। पति के द्वारा लिये गये ऋण को पत्नी से नहीं वसूला जा सकता था। ऋण प्राप्ति के लिए ऊपर कोई दबाव या उनसे जोर जबर्दस्ती नहीं किया जा सकता था। पत्नी पति के ऋण के लिये उत्तदायी नहीं थी। परन्तु कौटिल्य ने ग्वाला आदि कार्यों की कमाई परी निर्भर रहने वाली स्त्रियाँ अपने पति की अनुपस्थिति में अपने पति का कर्जा चुकता करने के लिए जिम्मेदार थीं। पत्नी द्वारा लिए ऋण के लिए पति उत्तरदायी होता था–

अग्राह्याः कर्मकालेषु र्कषका राजपुरूषाõ। स्त्रीवाऽप्रतिश्राविणी पतिकृतम् ऋणमन्यत्र गोपालकार्धसीतिकेभ्यः। पतिस्तु ग्राह्य स्त्री कृतम् ऋणमप्रतिविधायप्रोशित इति।[45:]

सम्पत्ति का अधिकार

सम्पत्ति के बटवारे में आचार्य कौटिल्य ने यह निर्देश दिया है कि जब सम्पत्ति का बटवारा हो तो उस समय यदि परिवार में कोई अविवाहित कन्या है तो विवाह आदि के लिये जितने धन की अपेक्षा हो उतना धन पैतृक सम्पत्ति से लेने का अधिकार था। कौटिलीय आर्थिक नीतियों की प्रासंगिकता : आधुनिक परिप्रेक्ष्य में

द्रव्यमपुत्रस्य सोदर्या भ्रातरः सहजीविनो वा हरेयुः कन्याõ।[47]

अन्य दशाओं में बड़े भाईयों का यह कर्तव्य होता था कि अपने छोटे भाइयों के समान अपनी छोटी बहनो के विवाह में दहेज आदि के लिये यथोचित धन दे–

सन्निविष्टसममसन्निविष्टेष्टेभ्यो नैवेशनिकं दद्युः। कन्याभ्यõ प्रादानिकं।[48]

कौटिल्य ने पैतृक सम्पत्ति में भाग न पाने वाली बहनों को माता की सम्पत्ति में से बर्तन, जेवर आदि लेने का अधिकार प्रदान किया था–

अदायादा भगिन्यः मातुः परिवापाद्धुक्तकांस्याभरण भागिन्यः।[49]

तत्कालीन समय में पितृसत्तात्मक प्रचलित होने के बावजूद आचार्य कौटिल्य ने सम्पत्ति बटवारे में स्त्रियों को सम्पत्ति से बेदखल नहीं किया, बल्कि उन्हें सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया था। पितृसत्तात्मक में सुवर्ण, आभूषण एवं नकदी आदि रिक्थ धन में उसके अधिकारी लड़के हैं, लड़कों के अभाव में लड़कियाँ रिक्थ धन की अधिकारिणी हैं, जो धर्म विवाहों से पैदा हुई हैं। लड़कियों के अभाव में मृतक पुरूष का जीवित पिता, पिता के अभाव में पिता के सगे भाई और उनके अभाव में भी उनके पुत्र उस सम्पत्ति के हकदार हैं–

रिक्थं पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो व धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः। तदभावे पिताधरमाणः, पित्रभावे भ्रातरो भ्रातृपुत्राõ।

दण्ड विधान का अधिकार

आचार्य कौटिल्य ने दण्ड देने का भी विधान किया है। यह दण्ड अपराधी को उसके दण्ड के अपराध के अनुसार दिया जाता था। परन्तु इस क्षेत्र में भी कौटिल्य ने स्त्रियों को विशेष छूट प्रदान कर रखा था।

जिसका अपराध साबित होता था उसी को दण्ड देने का प्रावधान था, किन्तु गर्भिणी और एक महीने से कम प्रसूता को हर्गिज दण्ड नहीं दिया जाता था। अपराध करने पर पुरूषों के लिये जो दण्ड थे, महिलाओं को उसका आधा दण्ड ही दिया जाता था अथवा मौखिक रूप से दण्ड दिया जाता था।–

आप्तदोषं कर्म कारयेत्। न तवेव स्त्रियं गर्भिणीं सूतिकां वा मासावरप्रजाताम्। स्त्रियास्त्वर्धकर्म। वाक्यानुयोगे वा।[51]

स्त्री के साथ कठोर व्यवहार

यदि कोई स्त्री दाम्पत्य नियमों का उल्लंघन करती है तो, उसको नहले नंगी, अर्धनंगी, लूली–लगड़ी आदि गालियाँ न देकर उसको भले ढंग से नम्रता तथा सभ्यता सिखाना चाहिए। यदि उससे कार्य न सधे तो उसकी पीठ पर बाँस की खपाची, रस्सी या डप्पण से तीन बार चोट करे। फिर भी वह सीधी राह पर न आवे तो उसे वाक्यपारूष्य तथा दण्डपारुष्य का आधा दण्ड दिया जाये–

नग्ने, विनग्ने न्यग्डे, अपितृके, अमातृके इत्यनिर्देशन विनयग्राहणम्। वेणुदलरज्जु हस्तानामन्यतमेन वा पृष्ठे त्रिराघतः। सस्यातिक्रमे वाग्दण्डपारूष्य दण्डाभ्यामर्धदण्डाः।[55]

उपर्युक्त दण्ड उस स्त्री को भी दिया जाये जो बिना कारण ही निर्दोष पति से बुरा व्यवहार करती हो और पति के दरवाजे पर या बाहर किसी प्रकार की इशारेबाजी या ऐयाशी करे। इस प्रकार के नियम–विरुद्ध आचरण करने वाली स्त्री के लिए दण्ड का विधान किया गया है। यह कटुभाषिणी स्त्री के व्यवहार पर लागू होता है–

तदेव स्त्रिया भर्तरि प्रसिद्धम् अदोषाया ईर्ष्याया बाह्यविहारेषु अत्ययो यथानिर्दिष्टः। इति पारुष्यम्।[56]

इस प्रकार स्पष्ट है कि आचार्य कौटिल्य ने कुलीन, धर्मपरायण, चरित्रवान, नियमपूर्वक जीवन निर्वाह करने वाली महिलाओं एवं कन्याओं को पूर्ण आर्थिक व सामाजिक संरक्षण दिया है, परन्तु आवारा, चरित्रहीन, स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कठोर प्रतिबन्ध सुनिश्चित किया है।[57]

सन्दर्भ–संकेत

- अर्थशास्त्र, 2/53–54/35,पृ.242
- कौटिलीयार्थशास्त्रम् पंचटीकोपेतम्, 2/54/35,पृ. 490
- अर्थशास्त्र, 2/53–54/35, पृ. 242
- अर्थशास्त्र, 2/55/36, पृ. 245
- अर्थशास्त्र, 2/33/7, पृ. 104
- अर्थशास्त्र, 2/44/28, पृ. 212
- अर्थशास्त्र, 2/44/28, पृ. 214
- अर्थशास्त्र, 2/17/1, पृ. 79
- एस. के. पाण्डे, प्राचीन, पृ. 303
- अर्थशास्त्र, 2/39/23, पृ. 192
- अर्थशास्त्र, 2/39/23, पृ. 193